मोनीटरिंग और मूल्यांकन

कार्यक्रम के कार्यन्वयन में सुधारात्मक उपाय करने के लिए मानीटरिंग और मूल्यांकन की आवश्यकता / गुणात्मक और मात्रात्मक मानीटरिंग के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

महिलाओं की भागीदारी

यह महसूस किया गया कि महिलाओं की भागीदारी के बिना सामाजिक परिवर्तन का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता।अतः सहभागिता सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

आठवीं योजना में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

1025. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण हेतु 28391.79 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान यह राशि खर्च की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो मार्च-अक्तूबर, 1997 तक खर्च पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) धनराशि के कम आबंटन से कौन-कौन सी चालू सिंचाई परियोजनाएं प्रभावित हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए मार्च, 1997 तक 27662.34 करोड़ रु० (अनंतिम) खर्च होने का अनुमान है।

(घ) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वृहत और मध्यम सिंचाई कार्यक्रम पर गठित कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार निधियों के अपर्याप्त आबंटन सहित विभिन्न कारणों से 119 वृहत सिंचाई परियोजनाएं, 176 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा 67 पुरानी परियोजनाओं का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ई आर एम) पिछली योजनाओं से नौवीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया है।

भूमिगत जल स्तर में गिरावट

1026. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो दशकों से विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप पेयजल, सिंचाई और खेती के लिए सुरक्षित जल के लिए जुटाये जाने वाले संसाधनों की स्थिति विकट हो गई है;

(ख) निरंतर गिरते भूमिगत जल स्तर के परिणामस्वरूप कुछेक राज्यों में अकाल की संभावना बढ़ गई है;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए अब तक कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है; और

(घ) क्या सरकार ने भूमिगत जल संसाधनों संबंधी कोई अन्वेषण कार्य किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) (क) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किये गये दीर्घकालीन प्रेक्षणों से देश के विभिन्न भागों में भूजल के स्तर में वृद्धि और गिरावट दोनों स्थितियों का पता चला है। पेय और सिंचाई/कृषि प्रयोजनों के लिए भूजल संसाधनों की स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न है यह स्थिति स्थिर भूजल रिजर्व, विकास का स्तर और वर्षा जल के जरिए सामान्य भराई पर निर्भर करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, इसके विकास और उपयोग की आयोजना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयासों को पूरा करती है।

(घ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा देश के भूजल संसाधनों को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने के लिए अध्ययन/अनुसंधान किये जाते हैं। ऐसे अध्ययनों/अनुसंधानों के परिणाम रिपोर्टों, मानचित्रों और भूजल एटलस के रूप में दर्ज़ किये गये है और राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों को उनके प्रयोग के लिए उपलब्ध कराये जाते हैं।

Inter-State River Water Dispute

1027. SHRI RAJUBHAI A PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) for how long each of the Inter-State river water dispute will continue to

hang fire when people are dying of thirst, and farm produce has suffered enormously over the years; and

(b) what steps are contemplated to ensure that all these disputes are resolved under a time bound programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Five Inter-State river water disputes namely Godavari, Krishna, Narmada, Ravi-Beas, and Cauvery were referred to the Central Government for setting up tribunals as per Inter State Water Dispute Act, 1956 for adjudication of the disputes. Accordingly the Central Government has set up tribunals for them. In respect of the above first three water disputes the tribunals have already given their final awards. Further Ravi-Beas Water Disputes Tribunal has given a report on 30.1.1987 and the Cauvery Water Disputes Tribunal has given an interim order on 25.6.91. It is not possible to predict the time which the tribunals may take for giving final award.

National Water Policy

1028. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government the contemplating/have formulated a national water policy;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The National Water Policy was adopted by the Government in 1987.

(b) The salient features of the National Water Policy (1987) are as under:—

(i) Reckoning a drainage basin or sub-basin as a unit for planning;

(ii) establishing standardised national information system;

(iii) adoption of integrated and multi-disciplinary approach to planning and formulation of projects;

(iv) integrated and coordinated development of surface and ground water;

(v) special attention in planning projects for benefiting disadvantaged groups of the society;

(vi) water transfer to needy areas based on a National Perspective;

(vii) giving primary consideration for provision of drinking water while planning multipurpose projects;

(viii) rationalising water rates for diverse purposes such as to convey the scarcity value of resources to the users;

(ix) close integration of water use and land use policies;

(x) fostering water as scarce resources to promote conservation consciousness;

(xi) emphasising non-structural measures to reduce flood loss while structural measures to protect flood to continue;

(xii) relief works to be aimed at drought-proofing works, while drought prone areas to be made less vulnerable to drought; and

(xiii) maximising technological inputs into the orderly development of water resources.

(c) Does not arise.

देश में सिंचाई सुविधाएं

1029. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

श्री प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल कृषि योग्य भूमि में से केवल 30% भूमि में ही सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;